संभागीय आयुक्त कार्यालय, जोधपुर

नागरिक चार्टर

संभाग के प्रशासनिक ढांचे को अधिक संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाने तथा सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संभाग के नागरिकों को अधिकार होगा कि :—

1. राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों, जो संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों पदस्थापित है, के अपने पदस्थापन स्थान / क्षेत्र से अनुपस्थित रहने, ड्यूटी से गायब रहने के मामले इस कार्यालय को भेज सकते हैं।
2. संभाग में स्थित राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित नॉन—टूरिंग (Non-Touring) अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा समय की पाबन्दी न बरतने के मामले भी इस कार्यालय को भेज सकते है।
3. संभाग में स्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / निगमों / निकायों में लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने / मांगने तथा विभागीय नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही न करने के मामले भी इस कार्यालय को भेज सकते हैं या संभागीय आयुक्त के ध्यान में व्यक्तिगत रूप से ला सकते हैं।

शिकायतकर्ता नागरिक संबंधित के विरूद्ध विभागीय / कानूनी कार्यवाही तथा स्थिति में सुधार की अपेक्षा कर सकेगा परन्तु नागरिक के लिए आवश्यक होगा कि उसने ऐसी शिकायत संबंधित अधिकारियों तथा जिला कलेक्टर को पहले कर दी हो।

जोधपुर, दिनांक 26.4.1999

संभागीय आयुक्त
जोधपुर